

## छत्तीसगढ़ में 'अवैध धर्मांतरण' रोकने के लिये बनेगा कानून

### चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में "[अवैध धार्मिक रूपांतरण](#)" को रोकने के लिये कानून लाने की योजना बना रही है।

### मुख्य बटु:

- इन गतविधियों को रोकने के लिये, '[धरुड की स्वतंत्रता \(संशुधन\) वधियक](#)' नामक एक धरुडंतरण वरिधी वधियक प्रसुतुत कयिा जाएगा।
- CM वषिणुदेव साय के अनुसार, [ईसाई मशिनरथिँ](#) स्वास्थय सेवा और शकषिा की आडु में धरुडंतरण करा रही थी।
- सरकार ने धुषणा की कविह बलपूरवक या प्रलोभन दवारा धरुडंतरण को समाप्त कर देगी।

### धरुड की स्वतंत्रता

- प्रतुयेक नागरकि को अपनी पसंद के धरुड का प्रचार और अभयास करने का अधकिार तथा स्वतंत्रता है।
  - यह अधकिार सरकारी हसुतकषेप के डर के बनिा इसे सभी के बीच फैलाने का अवसर भी प्रदान करता है।
  - लेकनि साथ ही, राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कविह देश के अधकिार कषेत्र के भीतर सौहारदपूरण ढंग से इसका अभयास करे।
- **धरुड की स्वतंत्रता से संबंधति संवैधानकि प्रावधान:**
  - **अनुचछेद 25:** यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धरुड को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने तथा प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
  - **अनुचछेद 26:** यह धारुडकि मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
  - **अनुचछेद 27:** यह कसिी वशिष धरुड के प्रचार के लिये करों के भुगतान की स्वतंत्रता नरिधारति करता है।
  - **अनुचछेद 28:** यह कुछ शैकषणकि संसुथानों में धारुडकि शकषिा या धारुडकि पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है।

### धरुड की स्वतंत्रता पर प्रमुख न्यायकि धुषणाएँ

- **बजिोय इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य (1986):**
  - इस मामले में, यहुवा के साकषी संप्रदाय के तीन बच्चों को स्कूल से नलिंबति कर दयिा गया क्युँकि उनहोंने यह दावा करते हुए राष्ट्रगान गाने से मना कर दयिा कयिह उनके वशिवास के सदिधांतों के खलिाफ है। न्यायालय ने माना कयि नषिकासन मौलकि अधकिारों और धारुडकि स्वतंत्रता के अधकिार का उल्लंघन है।
- **आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलसि आयुकुत, कलकत्ता (1983):**
  - न्यायालय ने माना कयि आनंद मार्ग एक अलग धरुड नहीं बलकएक धारुडकि संप्रदाय है और सार्वजनकि सडकों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक अनविर्य अभयास नहीं है।
- **एम. इसमाइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994):**
  - शीरष न्यायालय ने कहा कयि मसजदि इस्लाम की अनविर्य प्रथा नहीं है और एक मुसलमान कही भी, यहाँ तक कयिखुले में भी नमाज़ पढ सकता है।
- **राजा बीराकशिोर बनाम उडीसा राज्य (1964):**
  - जगन्नाथ मंदरि अधनियिम, 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी क्युँकि इसने पुरी मंदरि के मामलों के प्रबंधन के लिये प्रावधान इस आधार पर बनाए थे कयिह अनुचछेद 26 का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय ने माना कयि अधनियिम केवल सेवा पूजा के धरुडनरिपेकष पहलू को वनियिमति करता है, इसलिये, यह अनुचछेद 26 का उल्लंघन नहीं है।

